कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

प्रेस–नोट

दिनांकः–20.06.2023

- **जोधपुर आयुक्तालय का टॉप–10 में चयनित एवं राज्य का एक लाख रूपये का वांछित ईनामी शातिर अपराधी गैंगस्टर विक्रमसिंह नांदिया एवं उसका सहयोगी हिस्ट्रीशीटर दिनेश बम्बानी गिरफ्तार।**
- **गैंगस्टर, हार्डकोर विक्रमसिंह नांदिया के विरूद्ध गंभीर जानलेवा हमला, लूट, जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने जैसे 25 गंभीर प्रकरण दर्ज है।**
- **वीतरात सिटी, बोरानाडा में हिस्ट्रीशीटर राकेश मांजू पर फायरिंग का मुख्य सुत्रधार है, हिस्ट्रीशीटर विक्रम सिंह नांदिया।**
- **श्री एम.एन. दिनेश, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान जयपुर के सुपरविजन में विक्रमसिंह नांदिया की गिरफ्तारी के किये जा रहे थे हरसंभव प्रयास।**

घटना का विवरणः–

दिनांक 01.02.2023 को वितराग सिटी कॉलोनी पुलिस थाना बोरानाडा में विक्रम सिंह नांदिया व दिनेश बंबानी ने प्लान बनाकर राकेश मांजू को मारने के लिये बजरंग सिंह पालड़ी, मंगलसिंह अरटिया, रघुवीरसिंह बाघोरिया, प्रकाश जाट, युवराजसिह व अन्य को भेजा, जिन्होंने प्लान के अनुसार राकेश मांजू पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गये। जिस पर पुलिस थाना बोरानाडा पर प्रकरण संख्या 35 दिनांक 01.02.2023 अपराध धारा 147, 148, 149, 307 व 120 भादसं, 3/25 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया।

कार्यवाही पुलिसः–

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुझ पुलिस आयुक्त के निर्देशन में डॉ0 अमृता दुहन, पुलिस उपायुक्त, जिला पूर्व एवं श्री गौरव यादव, पुलिस उपायुक्त, जिला पश्चिम के निकट सुपरविजन में जिला पूर्व एवं पश्चिम की विशेष टीमों द्वारा मुलजिम विक्रमसिंह नांदिया की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे। जोधपुर पूर्व की विशेष टीम द्वारा पुलिस निरीक्षक भारतसिंह रावत के नेतृत्व में श्री गिरवरसिंह, कानि0 394 को प्राप्त आसूचना के आधार पर **श्री गिरवरसिंह, कानि0 एवं श्री अकरम खान, कानि0** ने लगातार दो दिन नादिया प्रभाती गांव में वांछित

अभियुक्त के रिश्तेदारों की गतिविधियों पर नजर रखी। इससे यह पता लगा कि वांछित अभियुक्त के भाई की होटल से एक आदमी पहाड़ियों में दोनों टाइम खाने का टिफिन लेकर जाता है। श्री अकरम कानि. द्वारा वांछित अभियुक्त के परिजनों के मोबाइल नम्बरों का विशलेषण कर तकनीकी रूप से भी यह स्थापित कर लिया कि पहाड़ियों के छुपे किसी व्यक्ति का परिजनों से सम्पर्क है। नांदिया प्रभावती गांव से बंधड़ा की पहाड़ियों की तरफ जाने वाले चार अलग-अलग रास्तों पर हमेशा कोई ना कोई गांव के लड़के बैठे होते थे ताकि पुलिस की कोई गतिविधी होने पर वांछित अभियुक्त को सतर्क कर भगा सके।

दिनांक 20.06.2023 को अलसुबह टीम प्रभारी श्री भारतसिंह के नेतृत्व में टीम के सदस्यों सर्वश्री दिनेश डांगी, उ0नि0, गंगासिंह, हैड कानि0, किशनसिंह, कानि0, गिरवरसिंह, कानि0, अकरम खान, कानि0 ने बंधड़ा पहाड़ी के पीछे 10 कि.मी. पैदल चल कर पहाड़ी पर घेराबंदी कर ली। आज दोपहर भूरिया बाबा मंदिर पर एक व्यक्ति खाने का टिफिन लेकर आया, उसी समय वांछित अभियुक्त विक्रमसिंह नांदिया मंदिर में बने कमरों से बाहर निकला, जिसे टीम ने पहचान लिया और तुरन्त चारों तरफ से घेराबंदी कर दस्तयाब कर लिया। इस इनामी अपराधी की दस्तयाबी में श्री गिरवरसिंह, कानि0 की आसूचना तथा श्री अकरम खान, कानि0 के तकनीकी विश्लेषण का विशेष योगदान रहा है।

विक्रमसिंह नांदिया के साथ ही उसके सहयोगी चौ0हा0बोर्ड थाने के हिस्ट्रीशीटर दिनेश बम्बानी को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके विरूद्ध मारपीट, उद्धापन, तोड़फोड़, धोखाधड़ी एवं हत्या की साजिश रचने, पुलिस पर हमला करने जैसे 10 गंभीर मुकदमें दर्ज है।

आपसी गैंगवार का विवरणः-

हिस्ट्रीशीटर दिनेश बंबानी व हार्डकोर अपराधी कैलाश मांजू के मध्य रूपयों को लेकर विवाद काफी वर्षो से चल रहा है जिसमें दिनेश बंबानी पर कैलाश मांजू द्वारा पूर्व में फायरिंग भी करवा रखी है। इसके बाद दिनेश बंबानी ने अपनी सुरक्षा के लिये अपने साथ हिस्ट्रीशीटर विक्रमसिंह नांदिया को रखना शुरू कर दिया था। इसके बाद दोनों पक्षों में लगातार मुकदमें तथा फायरिंग की घटनाए हो रखी है। करीब 02 वर्ष पूर्व राकेश मांजू जो कैलाश मांजू का भतीजा है, के द्वारा विक्रम नांदिया पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी जिसमें हिस्ट्रीशीटर विक्रमसिंह नांदिया को पीठ में गोली भी लगी थी। इसके बाद विक्रमसिंह नांदिया तथा दिनेश बंबानी ने हार्डकोर कैलाश मांजू को जान से मारने के लिये भीलवाड़ा दोहरे हत्याकांड के कुख्यात अपराधी राजू फौजी को 80 लाख की सुपारी दी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया जिससे बहुत बड़ी वारदात होने से टल गई, परन्तु इनके आपस में गैंगवार होने की पूरी पूरी संभावनाएं थी। इसी दौरान हिस्ट्रीशीटर विक्रमसिंह नांदिया ने अपने उपर हुई फायरिंग का बदला लेने के लिये दिनांक 01.02.2023 को वितराग सिटी में राकेश मांजू पर फायरिंग की घटना करवाई।

वारदात की प्लानिंगः-

हिस्ट्रीशीटर अपराधी विक्रमसिंह नांदिया तथा दिनेश बंबानी ने विक्रमसिंह के स्वस्थ होने का इंतजार करने के बाद राकेश मांजू से बदला लेने के लिये तथा उसे जान से मारने के लिये प्लानिंग बनाई जिसके अनुसार विक्रम सिंह नांदिया अपने गांव में ही रूका तथा अपने साथियों बंजरंगसिंह पालड़ी, मंगलसिंह अरटिया, रघुवीरसिंह बाघोरिया, प्रकाश जाट, युवराजसिंह व अन्य को कैलाश मांजू तथा राकेश मांजू की

वितराग सिटी में आने-जाने की रैकी करने तथा गोली मारने की जगह चिन्हित करने का काम दिया। जिस पर उक्त साथियों ने रैकी कर फायरिंग का स्थान तय कर दिनांक 01.02.2023 को राकेश मांजू पर फायरिंग कर अलग-अलग रास्तों से फरार हो गये।

अभियुक्त विक्रमसिंह नांदिया का आपराधिक रिकॉर्ड

क्र.स.	प्रकरण संख्या/ दिनांक	अपराध धारा	नाम दर्ज थाना व जिला	वर्तमान स्थिति सजा/बरी/ पीटी/ पैण्डिग पुलिस
1.	45/ 24.05.2007	307, 386, 149, 120बी भादसं व 3/25 आर्म्स एक्ट	देचू, जोधपुर (ग्रामीण)	24.09.2008 दोषमुक्त
2.	61/ 21.02.2008	379, 411 भादसं	महामंदिर	पैण्डिंग ड्रायल
3.	49/ 14.05.2009	341, 323, 427/34 भादसं	खेड़ापा, जोधपुर (ग्रामीण)	27.02.2013 सजा
4.	228/ 07.08.2009	459, 427, 323, 324, 354 भादसं व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट	रातानाडा	17.11.2015 राजीनामा बरी
5.	123/ 18.10.2009	341, 379, 427/149 भादसं	खेड़ापा, जोधपुर (ग्रामीण)	पेण्डिंग ट्रायल
6.	175/ 25.10.2009	147, 341, 323, 365, 395, 427/149 भादंस	भोपालगढ़, जोधपुर(ग्रामीण)	पेण्डिंग ट्रायल
7.	228/ 12.11.2009	341, 323, 307, 327/34 भादंस	सूरसागर	पेण्डिंग ट्रायल
8.	133/ 22.04.2010	341, 323/34 भादंस	चौ0हा0बोर्ड	पेण्डिंग ट्रायल
9.	72/ 23.05.2010	436, 147, 149 भादसं व 3 पीडीपीपी एक्ट	डांगियावास	पेण्डिंग ट्रायल
10.	270/ 08.08.2011	451, 323, 427/34 भादंस	चौ0हा0बोर्ड	01.01.2011 राजीनामा बरी
11.	42/ 02.03.2012	365, 342, 323/34 भादंस	डांगियावास	06.03.2013 राजीनामा बरी
12.	66/ 05.03.2012	323, 386, 394, 365/34 भादसं व 3/25 आर्म्स एक्ट	शास्त्रीनगर	पेण्डिंग ट्रायल
13.	183/ 08.07.2012	302/34 भादंस व 3/25 आर्म्स एक्ट	चौ0हा0बोर्ड	16.07.2015 दोषमुक्त
14.	98/ 21.04.2013	143, 341, 323 भादसं	रातानाडा	पेण्डिंग ट्रायल
15.	63/	341, 323, 324,	करवड़	पेण्डिंग ट्रायल

	11.07.2014	325/34 भादसं		
16.	282/ 03.12.2014	143, 341, 323, 384 भादसं	चौ0हा0बोर्ड	पेण्डिंग ट्रायल
17.	26/ 12.03.2015	341, 323, 325/34 भादसं	भोपालगढ़, जोधपुर(ग्रामीण)	पेण्डिंग ट्रायल
18.	244/ 26.08.2015	323, 427, 452/34 भादसं	सरदारपुरा	पेण्डिंग ट्रायल
19.	22/ 30.01.2016	279, 336 भादसं	सरदारपुरा	पेण्डिंग ट्रायल
20.	71/ 10.03.2016	323, 307, 325, 387, 427/34, 120बी भादसं	चौ0हा0बोर्ड	पेण्डिंग ट्रायल
21.	249/ 07.10.2016	3/25, 4/25 आर्मस एक्ट	चौ0हा0बोर्ड	पेण्डिंग ट्रायल
22.	362/ 23.10.2016	153, 201/34 भादसं 42 राजस्थान कारगृह अध्यादेश 2015, 66 आईटी एक्ट	रातानाडा	पेण्डिंग ट्रायल
23.	106/ 03.09.2018	147, 148, 149, 323, 307, 392 भादसं	देवनगर	पेण्डिंग ट्रायल
24.	241/ 12.07.2021	115 सपठित धारा 302,120बी भादसं	चौ0हा0बोर्ड	पेण्डिंग ट्रायल
25.	173/2019	3/25 आर्मस एक्ट	बोरानाडा	पेण्डिंग ट्रायल

अभियुक्त दिनेश बम्बानी का आपराधिक रिकॉर्ड:-

क्र0सं0	प्र0स0/दिनांक	अपराध धारा	थाना	वर्तमान स्थिति सजा/बरी/ पीटी/ पैण्डिग पुलिस
1	523/8.12.03	279,337 भादस	प्रतापनगर	1550 रुपये सजा दिनांक 23.10.07
2	35/6.02.06	341,323/34 भादस	चौ0हा0बोर्ड	राजीनामा बरी दिनांक 26.8.2008
3	15/2009	147,148,149,325,323, 452, 427 भादंस	चौ0हा0बोर्ड	दोष मुक्त 24.06.13
4	16/2009	147,148,149,353,332 भादंस	चौ0हा0बोर्ड	6 माह की सजा 24.6.13
5	171/2010	341,323/34 भादंस	चौ0हा0बोर्ड	बरी राजीनाम दिनांक 17.7.11
6	269/21.9.12	341,323,327/34 भादस	चौ0हा0बोर्ड	राजीनाम बरी दिनाक 1.6.13
7	282/3.12.14	143,341,323,384 भादस	चौ0हा0बोर्ड	पैण्डिग ट्रायल
8	312/4.12.15	384,420,406,467,468,4	चौ0हा0बोर्ड	पैण्डिग ट्रायल

		71,120बी भादसं.		
9	71/10.03.16	307,341,323,379 भादस	चौ0हा0बोर्ड	पैण्डिग ट्रायल
10	241/12.07.2021	धारा 115 सप८त धारा 302,120बी भादस	चौहाबोर्ड	पैण्डिग ट्रायल

फरार अभियुक्त विक्रमसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह निवासी गांव नांदिया पुलिस थाना भोपालगढ जोधपुर की गिरफ्तारी हेतु अब तक किये गये प्रयास निम्नानुसार है–

फरार अभियुक्त विक्रमसिंह नांदिया की गिरफ्तारी हेतु पुलिस आयुक्त, जोधपुर द्वारा विक्रमसिंह को आयुक्तालय स्तर पर टॉप–10 सर्वाधिक सक्रिय वांछित अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया। अभियुक्त के दस्तयाब नहीं होने पर श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान जयपुर के पत्रांक 6413–6513 दिनांक 08.06.2023 के द्वारा अभियुक्त विक्रमसिंह की गिरफ्तारी हेतु 1,00,000/– रुपये ईनाम की घोषणा की गई। तलाश हेतु पूर्व में सहायक पुलिस आयुक्त, बोरानाडा, सहायक पुलिस आयुक्त, पश्चिम जोधपुर एवं पुलिस उप अधीक्षक, भोपालगढ़ के नेतृत्व में तीन अलग–अलग टीमों का गठन कर फरार अभियुक्त विक्रमसिंह नांदिया के रहवासी घर पर छापेमारी की गई, जिसमें स्कॉर्पियों वाहन, मारुति बेलेनो कार, एक बोलेरो केम्पर एवं एक जे.सी.बी. तथा बाईस हजार रुपये नकद राशि सहित बिजली के सामान को जब्त किया गया।

आज जिला पूर्व की टीम द्वारा योजनाबद्ध तरीके से भरसक प्रयास कर विक्रमसिंह नांदिया को गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही में शामिल पुलिस टीमः–

1. श्री जयप्रकाश अटल, सहायक पुलिस आयुक्त, बोरानाडा
2. श्री देवीचंद ढ़ाका, नि0पु0, थानाधिकारी बोरानाडा
3. श्री भारत रावत, निरीक्षक पुलिस, अपराध सहायक, अपराध शाखा, जोधपुर पूर्व
4. श्री दिनेश डांगी, उप निरीक्षक पुलिस, डी.एस.टी., जोधपुर पूर्व
5. श्री गिरवर सिंह, कानि 394, डीएसटी जोधपुर पूर्व (**विशेष योगदान**)
6. श्री अकरम खान, कानि0 381, डीएसटी जोधपुर पूर्व **(विशेष योगदान)**
7. श्री किशन सिंह, कानि 1026, डीएसटी जोधपुर पूर्व
8. श्री गंगासिंह, हैड कानि0 202 (चालक), डीएसटी जोधपुर पूर्व

(रवि दत्त गौड़)
पुलिस आयुक्त,
जोधपुर